



प्रेस नोट

एसटीएफ बरेली/थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा सीएए/एनआरसी में हिंसा फैलाने वाला 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभि० आदिल उर्फ चुहिया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समय जनपद में हुई हिंसा/तोड़फोड़ किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2019 को थाना कोतवाली शहर पर अभियुक्त जावेद आफताब पुत्र आफताब सिद्दीकी निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी-16 बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली शहर 2- फुरकान पुत्र महरबान निवासी शादीपुर बरुखी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर हॉल निवासी चॉदपुर की चुगी (फरीदपुर उददा) थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3- आदिल उर्फ चुहिया पुत्र स्व० अनीमुद्दीन उर्फ अल्लु निवासी मौ० काजीपाड़ा थाना को०शहर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना को०शहर पर सुसंगत धाराओं में 07 अभियोग पंजीकृत किये गये थे। पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा तीनों अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्तगण जावेद आफताब व फुरकान उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभि० आदिल उर्फ चुहिया उपरोक्त फरार चल रहा था।

आज दिनांक 09.07.2021 को एस०टी०एफ बरेली टीम व थाना को०शहर पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही में अभि० आदिल उर्फ चुहिया उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- आदिल उर्फ चुहिया पुत्र स्व० अनीमुद्दीन उर्फ अल्लु निवासी मौ० काजीपाड़ा थाना को०शहर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 1132/19 धारा 147,148,149,323,332,353,336, 427,436, 307, 188, 120बी भादवि व 7 सी०एल०ए० एक्ट व सार्वजनिक लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० थाना कोतवालीशहर जनपद बिजनौर,
2. मु०अ०सं० 1130/19 धारा 147,148,149,452,323,336,506, 427,188 भादवि० व 7 सी०एल० एक्ट व 3 सार्वजनिक लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर,
3. मु०अ०स० 1131/19 धारा 147/148/149/323/336/395/427/188 भादवि० व 7 सी०एल० एक्ट व 3 सार्वजनिक लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर,
4. मु०अ०स०-1135/19 धारा 147, 148, 149, 323, 452, 336, 427,188 भा०द०वि० व 7 सी०एल० एक्ट व 3 सार्वजनिक लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० थाना कोतवालीशहर जनपद बिजनौर,
5. मु०अ०स०-1136/19 धारा 147, 148, 149, 323, 336, 427,188 भा०द०वि० व 7 सी०एल० एक्ट व 3 सार्वजनिक लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर,
6. मु०अ०स०-1137/19 धारा 147, 148, 149, 323, 452,336, 427,188 भा०द०वि० व 7 सी०एल० एक्ट व 3 सार्वजनिक लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० थाना कोतवालीशहर जनपद बिजनौर
7. मु०अ०स० 1138/19 धारा 147,148,149,323, 452, 336,427,188 भा०द०वि० व 7 सी०एल० एक्ट व 3 सार्वजनिक लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि० थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

एस0टी0एफ0 बरेली

1- निरीक्षक अजयपाल सिंह 2-का0 मौज्जम अली 3-है0का0 सन्दीपकुमार 4-का0 नितिन 5-का0 रामजीलाल 6-का0 कुलदीप 7- कमाण्डो संजीव कुमार।

थाना कोतवाली शहर पुलिस:-

1-उ0नि0 सुभाष धनकड 2-का0 2380 जितेन्द्र कुमार 3-का0 827 आकाश धामा



प्रेस नोट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 347/21 धारा 498ए/323/304बी भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 09.07.2021 को मु0अ0सं0 347/21 धारा 498ए/323/304बी भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के वांछित अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र मौ0 अकबर 2. राशिद अहमद पुत्र मौ0 अकबर निवासीगण मधुपुरा फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर 3. लियाकत अली पुत्र नसीम अहमद निवासी ग्राम मौजमपुर हरवंश उर्फ रहमापुर थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर को स्योहारा नूरपुर रोड पर रेलवे क्रांसिंग के पास से समय करीब 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.सलमान पुत्र मौ0 अकबर निवासी मधुपुरा फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर
2. राशिद अहमद पुत्र मौ0 अकबर निवासी मधुपुरा फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर
3. लियाकत अली पुत्र नसीम अहमद निवासी ग्राम मौजमपुर हरवंश उर्फ रहमापुर थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर

फरार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. अकबर पुत्र नामालूम (ससुर) निवासी ग्राम सिपाहीयो वाला टाण्डा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
हाल पता ग्राम मुधुपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. नूर जहाँ पत्नि अकबर (सास) निवासी ग्राम सिपाहीयो वाला टाण्डा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
हाल पता ग्राम मुधुपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. शबनम पुत्री अकबर (ननद) निवासी ग्राम सिपाहीयो वाला टाण्डा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
हाल पता ग्राम मुधुपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. रेशमा पुत्री अकबर (ननद) निवासी ग्राम सिपाहीयो वाला टाण्डा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
हाल पता ग्राम मुधुपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. शबीना पुत्री अकबर (ननद) निवासी ग्राम सिपाहीयो वाला टाण्डा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
हाल पता ग्राम मुधुपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6. नाजिम अली पुत्र नामालूम नि० नामालूम
7. अकरम पुत्र नामालूम नि० नामालूम

आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 347/21 धारा 498ए/323/304बी भा०द०वि० व 3/4 डी०पी० एक्ट बनाम उपरोक्त सभी
10 नफर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री राजकुमार वर्मा
2. रि०का० 1470 कपिल कुमार
3. रि०का० 1585 विक्रान्त शर्मा



दिनांक 07.07.2021 को थाना नांगल क्षेत्रान्तर्गत अनिकेत पुत्र संदीप कुमार निवासी ग्राम टिसोतरा, थाना नांगल, बिजनौर द्वारा अपने साथी से फोन पर वार्ता करते हुए भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री दिगंबर सिंह निवासी ग्राम चमरौला, थाना नांगल, बिजनौर को जान से मारने की धमकी दिये जाने का कॉल रिकार्डिंग ऑडियो वायरल हुआ। वायरल ऑडियो के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 57/2021 धारा 506 भादवि बनाम अनिकेत उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत 02 आरक्षियों को श्री दिगंबर सिंह के साथ नियुक्त किया गया है। अभियुक्त अनिकेत उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

आज दिनांक 09.07.2021 को थाना नांगल की गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अनिकेत को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



थाना कोतवाली देहात:- आज दिनांक 09.07.2021 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त अहमद पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला मदीना कस्बा देवबंद जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0 146/21 धारा 380/411 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना मण्डावर:- आज दिनांक 09.07.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 316/21 धारा 376 डीए/328/506/120बी व 5/6 पोक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त अजीद उर्फ सैफी पुत्र मून्न उर्फ मशकूर अहमद निवासी मौहल्ला चाहा सिरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

